

धारा 154 : नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति

आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह यह समझता है कि यह आवश्यक है, किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा और लिए गए किन्हीं भी नमूनों की रसीद उपलब्ध कराएगा।
